शिकारियों के लगाए करंट से बाघ की मौत

संजय टाईगर रिजर्व के दुबरी परिक्षेत्र के डेवा वृत्त के बीट का मामला, जांच में पहुंचे बड़े विभागीय अधिकारी

सीधी, 19 अगस्त. संजय टाईगर रिजर्व के दुबरी परिक्षेत्र के डेवा वृत्त के बीट खरबर में शिकारियों द्वारा बिछाये गये करंट में फंसने से बाघ टी-43 की मौके पर मौत हो गई.

यह सूचना मिलते ही विभागीय अधिकारियों का जमावड़ा लग गया. मृत बाघ का पोस्टमार्टम 3 डॉक्टरों की टीम द्वारा किया गया, वहीं अग्रिम फॉरेंसिक जांच के लिये बाघ का बिसरा एकत्रित किया गया. मिली जानकारी के अनुसार 19 अगस्त 2025 की रात्रि में शिकारियों द्वारा वन्य जीवों के शिकार के लिये हाई वोल्टेज लाइन से करंट जमीन में फैलाया गया था. बिछाये गये करंट की चपेट में जैसे ही बाघ टी-43 फंसा, तेज आग भडक़ उठी. उसी दौरान खरबर गांव के कुछ लोग मरीज की दवाई कराकर बोलेरो वाहन से वस्तुआ लौटे रहे थे. इनकी बोलेरो वस्तुआ डेवा रोड से खरबर की तरफ मुड़ी तो रास्ते से लगभग 50 मीटर की दूरी पर तेज आग नजर आई. जिस पर इनके द्वारा बोलेरो को मोडक़र हेडलाइट से देखा गया तो जमीन में खूंटी गाडक़र जीआई तार से करंट फैलाया गया था, उसी में बाघ टी-43 फंस चुका था. बोलेरो सवारों द्वारा तत्काल इसकी सूचना संजय टाईगर रिजर्व के कर्मचारियों को दी गई. सूचना मिलते ही तत्काल टाईगर रिजर्व की टीम मौके पर पहुंची लेकिन शिकारी वहां से भाग चुके थे और बाघ की मौत हो गई थी.

> क्षेत्र संचालक संजय टाइगर रिजर्व ने जानकारी देकर बताया कि आज दिनांक 19 अगस्त 2025 को रात्रि 12.05 बजे दुबरी परिक्षेत्र की खरबर बीट में 1 बाघ मृत पाया गया है. सूचना प्राप्त होते ही दुबरी परिक्षेत्र के अधिकारी/कर्मचारी मौके पर पहुंचे एवं घटना की सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई. घटना दुबरी परिक्षेत्र के डेवा वृत्त की बीट खरबर के कक्ष क्रमांक 509 की है. मृत नर बाघ की पहचान टी-43 के रूप में की गई. बाघ के सभी अंग सुरक्षित पाये गये हैं.

एसडीएम ने कराई एफआईआर, कोर्ट ने की निरस्त

शाजापुर, 19 अगस्त. पिछले दिनों शुजालपुर अनुभाग अंतर्गत कालापीपल में दो अवैध कॉलोनाइजरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी. बाकी अवैध कॉलोनाइजरों पर जुर्माना लगाया गया था.

इस मामले में कॉलोनाइजरों ने मुख्यमंत्री और ईओडब्ल्यू को शिकायत की थी. कुछ दिन बाद शुजालपुर एसडीएम द्वारा अन्य अवैध कॉलोनियों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कराई गई थी. एसडीएम के आदेश के खिलाफ कुछ कॉलोनाइजरों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की. हाईकोर्ट ने माना कि एसडीएम को नहीं था अपने अधिकार का ज्ञान. इस कारण हाईकोर्ट ने एफआईआर निरस्त कर दी. गौरतलब है कि अवैध कॉलोनी के मामले में शुरू से ही विवाद में रही शुजालपुर एसडीएम अर्चना कुमारी का अपना ही आदेश उनके गले की फांस बन गया. उन्होंने आनन-फानन में जुलाई 2025 में दो दर्जन अवैध कॉलोनाइजरों को नोटिस जारी किए, जिसमें केवल दो कॉलोनाइजरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी. बाकी पर जुर्माना लगाया गया था. इस मामले की शिकायत मुख्यमंत्री और ईओडब्ल्यू को की गई थी. मुख्यमंत्री की शिकायत की जांच में एसडीएम को क्लीन चिट दी गई, लेकिन ईओडब्ल्यू की शिकायत आज भी लंबित है. इस मामले में कुछ कॉलोनाइजरों ने इंदौर हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की. अवैध कॉलोनी के मामले में केवल कलेक्टर को एफआईआर करने के पॉवर हैं.

> न्यायमूर्ति प्रणव वर्मा ने अपने आदेश में स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया है कि याचिकाकर्ता द्वारा शुजालपुर एसडीएम के आदेश पारित दिनांक 28.07.2025 से व्यथित होकर याचिका प्रस्तुत की गई. जिसके तहत मप्र नगर पालिका अधिनियम 1961 धारा 339 सी के प्रावधानों का हवाला देते हुए माना कि याचिकाकर्ता के बिना उचित और अपेक्षित अनुमति के अवैध उपनिवेशीकरण और उसके विकास में संलिप्तता दिखाई और मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद पानखेड़ी को अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अंतर्गत सात दिन की अवधि के भीतर ही याचिकाकर्ता के विरूद्ध एफआईआर दर्ज करा दी गई.

विश्व चैंपियनशिप में शिखर दुबे करेंगे भारत का प्रतिनिधित्व

भिंड. विश्व चैंपियनशिप में भिंड के खिलाड़ी शिखर दुबे देश का प्रतिनिधित्व करेंगे. कयाकिंग एंड कैनोइंग एसोसिएशन के प्रतिभावान खिलाड़ी शिखर पुत्र राकेश दुबे का चयन वर्ल्ड कैनो मैराथन चैंपियनशिप के लिए हुआ है, जो आगामी 4 से 7 सितंबर तक हंगरी में आयोजित होने जा रही है. खिलाड़ी शिखर दुबे का चयन चंडीगढ़ में चल रहे चयन ट्रायल्स के दौरान हुआ है. वे पहले भी कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं.

मुंहबोली मौसी ने किया 8 साल की बच्ची को किडनैप

जबलपुर. बरेला थाना अंतर्गत गौर चौकी स्थित कटियाघाट से 8 साल की मासूम बच्ची का अपहरण कर लिया गया जब इसकी खबर पुलिस को लगी तो हड़कंप मच गया, पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल शुरू की. जांच में यह बात सामने आई थी बच्ची अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी, तभी उसकी मुंहबोली मौसी उसे बहला- फुसलाकर अपने साथ ले गई थी. पुलिस ने बच्ची को दस्तयाब कर महिला को हिरासत में ले लिया है जिससे पूछताछ की जा रही है.

इलाज के दौरान 15 वर्षीय किशोर की मौत

झोलाछाप चिकित्सक पर लापरवाही का आरोप

पिपलियामण्डी, 19 अगस्त. अयोध्या बस्ती में रहने वाले 15 वर्षीय किशोर की इलाज के दौरान संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया.

परिजनों और मोहल्लेवासियों ने झोलाछाप चिकित्सक पर गलत उपचार करने का आरोप लगाते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की. रात्रि में ही पुलिस ने आरोपी चिकित्सक को राउंडअप कर लिया. वहीं मंगलवार सुबह मंदसौर में सीनियर डॉक्टर्स की पैनल टीम ने मृतक का पोस्टमार्टम (पीएम) किया. रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का असली कारण स्पष्ट होगा. जानकारी के अनुसार 15 वर्षीय अजय पिता नारूलाल प्रजापत को सर्दी-जुकाम की शिकायत थी. परिजनों के अनुसार सोमवार को मोहल्ले में आए कथित डॉक्टर सोनू ने अजय का चेकअप किया और उसे बॉटल चढ़ा दी. इलाज के दौरान ही उसकी हालत बिगड़ने लगी और वह तड़पने लगा. सोनू उसे निजी वायडीएम अस्पताल ले गया, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया. घटना के बाद डॉक्टर मौके से फरार हो गया. अजय अपने माता-पिता का इकलौता बेटा था. उसकी बड़ी बहन की शादी हो चुकी है और एक बहन घर पर है.

> चौकी प्रभारी धर्मेश यादव ने बताया कि रात्रि में शिकायत मिलने के बाद आरोपी चिकित्सक को पूछताछ के लिए राउंडअप किया गया है. पीएम रिपोर्ट आने के बाद परिजनों के बयान दर्ज कर आगे उचित कार्रवाई की जाएगी. वहीं ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर घनश्याम पाटीदार ने कहा कि मंदसौर में सीनियर डॉक्टरों की पैनल टीम द्वारा मृतक का पोस्टमार्टम किया गया है. रिपोर्ट आने के बाद जांच कर पुलिस को सूचना दी जाएगी और नियमानुसार कार्रवाई होगी.

घर के किचन में पति ने पत्नी को उतारा मौत के घाट

- आरोपी और उसकी मां को पुलिस ने किया गिरफ्तार

सिंगरौली ,19 अगस्त. विंध्यनगर पुलिस ने एक सनसनी खेज घटना का पर्दाफाश करने में सफल रही है. आरोपी ने अपनी पत्नी की निर्मम हत्या कर शव का अंतिम संस्कार प्रयागराज में किया. यह वारदात 15 अगस्त की रात 9 बजे की है.

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार फतेहपुर के सुनील दुबे के जरिये टेलीफोन पर सूचना मिली कि एनटीपीसी विंध्यनगर कैम्पस में दामाद निखिल दुबे रहते हैं और वे एल एण्ड टी में इंजीनियर हैं. जहां निखिल दुबे ने सुनील को बताया था कि उनकी बेटी खत्म हो गई है. सूचना पर बेटी के मायके वाले मूल निवास स्थान ईलाहाबाद जाकर पता किया तो, वहां ताला बंद मिला. इसके बाद थाना प्रभारी को सूचना दिया कि एनटीपीसी विंध्याचल के निवास स्थान पर जाकर चेक करे. वहां के आवास एनएच 1 बी 1167 में पुलिस जाकर देखी तो वहां का भी ताला बंद मिला.

यह है मामला

विंध्यनगर टीआई उक्त मामले के संबंध में एसपी मनीष खत्री को अवगत कराते हुये न्यायालय से प्राप्त सर्च वारंट के माध्यम से उक्त आवास का दरवाजा खोला गया. जहां कोई आपत्ति जनक वस्तुएं एवं गुमशुदा या परिवार के सदस्य तलाश के दौरान नही मिले. पुलिस ने आगे जांच पड़ताल शुरू की. इस दौरान एल एण्ड टी के जीएम एचआर प्रभंजन के पास आरोपी निखिल दुबे ने व्हाट्सएप कॉलिंग के माध्यम से सूचना दिया था कि पत्नी की मृत्यु होने पर शंकरघाट में इलेट्रिक शवदाह गृह में मशीन से जला कर अंतिम संस्कार कर दिया गया है.

ग्वालियर में संदिग्ध हालात में छात्रा की मौत

तंत्र-मंत्र के आरोप में पुलिस ने रुकवाया अंतिम संस्कार

- खल्लासीपुरा इलाके में आठवीं कक्षा की छात्रा
- पुलिस कर रही मामले की जांच

ग्वालियर, 19 अगस्त. खल्लासीपुरा इलाके में आठवीं कक्षा की छात्रा की संदिग्ध हालात में मौत हो गई. मृतका 14 वर्षीय रौनक पुत्री सुनील पाल बीमार थी और अचानक उसकी मौत हो गई. परिजन अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे, तभी पुलिस को सूचना मिली कि बालिका की मौत बीमारी से नहीं, बल्कि तंत्र-मंत्र के दौरान प्रताड़ना से हुई है.

पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में बालिका के पेट पर गर्म छड़ से जलाने और अन्य चोटों के ताजा निशान पाए गए हैं. मासूम के पेट पर गर्म छड़ से जलाने के निशान हैं, जो बिल्कुल ताजा हैं.

> खल्लासीपुरा निवासी रौनक पिछले 15 दिनों से बुखार से पीड़ित थी. परिजन उसे डॉक्टर को भी दिखा चुके थे, लेकिन आराम नहीं मिला. घर पर ही उसने दम तोड़ दिया. इसके बाद परिजन अंतिम संस्कार के लिए शव को श्मशान घाट ले गए. इसी दौरान पुलिस पहुंची और अंतिम संस्कार रुकवाकर शव को निगरानी में ले लिया है. पुलिस अब गहनता से मामले की जांच में जुट गई है.

महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान भोपाल संचालक व असिस्टेंट डायरेक्टर तलब

जबलपुर, 19 अगस्त. मप्र हाईकोर्ट ने पूर्व आदेश की नाफरमानी को गंभीरता से लिया। जस्टिस विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने मामले में महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान भोपाल के संचालक प्रभात राज तिवारी एवं असिस्टेंट डायरेक्टर रेशमा लाल को आज बुधवार को हाजिर होकर स्पष्टीकरण पेश करने के निर्देश दिये है।

यह मामला पुष्पांजली संस्कृत विद्यालय सिंगरौली व अन्य की ओर से दायर किया गया है। जिनकी ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एनएस रूपराह व मुस्कान आनंद ने पक्ष रखा। जिन्होंने बताया कि पतंजलि संस्थान ने एक आदेश जारी कर यह शर्त रखी थी कि उनके संस्थान से संबद्ध जिन विद्यालयों के छात्रों ने माशिमं या सीबीएससी से नौवीं या ग्यारहवीं परीक्षा उत्तीर्ण की है, उन्हें दसवीं और बारहवीं में परीक्षा में शामिल नहीं किया जाएगा। इससे क्षुब्ध होकर पूर्व में एक याचिका दायर की गई थी। हाईकोर्ट ने 28 अप्रैल 2025 को संस्थान के उक्त आदेश को स्थगित कर दिया था। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने विगत 14 अगस्त को हाईकोर्ट ने उक्त अधिकारियों को नोटिस जारी कर पूछा था कि नियम स्थगित करने के बावजूद याचिकाकर्ता संस्कृत विद्यालयों के विद्यार्थियों को परीक्षा में शामिल क्यों नहीं किया गया.

छात्रावास की 35 छात्राएं हो गई बीमार

बालिकाओं को सर्दी, खांसी और बुखार हुआ

रतलाम, 19 अगस्त. एकलव्य बालिका छात्रावास की 35 छात्राओ को बीमार होने पर स्वास्थ्य केन्द्र पर भर्ती कराना पड़ा. छात्राओं को सर्दी, खांसी, बुखार सहित अन्य समस्याएं थी. वहीं 22 बालिकाओं का इलाज किया जा रहा हैं.

एकलव्य बालिका छात्रावास की छात्राओं को सोमवार को अचानक घबराहट होने लगी. बैचेनी के साथ तेज बुखार व पैर दर्द होने लगा. कुछ छात्राओं को उल्टी होने लगी. इसके बाद 35 छात्राओं को बाजना अस्पताल में भर्ती कराया गया. बालिकाओं के बीमार होने की सूचना मिलते ही तत्काल

कलेक्टर ने सीएमएचओ डॉ. संध्या बेलासरे एवं सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग श्रीमती रंजना सिंह को उपचार की व्यवस्था के लिए निर्देशित किया. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर संध्या बेलसरे ने बताया कि एकलव्य बालिका छात्रावास बाजना मे 10-15 साल की बालिकाओं को सर्दी, खांसी, बुखार के कारण सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बाजना में 22 बालिकाओं को भर्ती कर लक्षण के आधार पर उपचार किया गया. जिसमें हाई ग्रेड फीवर(बुखार) के कारण 9 बालिकाओं को मेडिकल कॉलेज रतलाम रेफर किया गया, उनका उपचार किया जा रहा है.

सीएमएचओ डॉक्टर संध्या बेलसरे, एस डी एम मनीष जैन, मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर जीवन चौहान मेडिकल स्पेशलिस्ट, एम डी पेडियाट्रिक स्पेशलिस्ट डॉक्टर अटल चौधरी, एपिडेमियोलॉजीस्ट डॉक्टर गौरव बोरीवाल मौके पर पहुंचे, जिला रतलाम की टीम ने उपस्थित होकर सभी बालिकाओं का हेल्थ चेकअप एवं उपचार किया. प्राइमरी लेवल पर बीएमओ डॉक्टर जितेंद्र जायसवाल, डॉक्टर संजीव कुमार वर्मा, डॉ. पवन कुमावत द्वारा आवश्यक उपचार किया गया.

13 दिनों के बाद काम पर लौटे तहसीलदार

सरई, 19 अगस्त. जिले के तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार पिछले 13 दिनों से राष्ट्रीय आपदा कार्य को छोड़कर अन्य राजस्व संबंधी कार्यो से विरत होते हुये हड़ताल पर चले गये थे.

राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव के आश्वासन के बाद आज दिन मंगलवार से तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार काम पर लौट आये हैं. तहसीलदार सरई, बरका समिति पहुंच खाद वितरण व्यवस्था को देखा और मोर्चा संभालते हुये करीब 4 घंटे तक मौजूद रहकर खाद वितरण कराएं. खाद का वितरण किसानों को उनकी प्रति हेक्टेयर भूमि की साख परमिट के आधार पर किया जाता है, जिसे सहकारी बैंक किसानों को जारी करते हैं. जांच के दौरान यह पाया गया कि शासकीय खाद का वितरण नियमानुसार एवं परमिट के आधार पर ही किया गया है. वहीं नगदी राशि से खाद प्राप्त करने के लिए निजी विक्रेताओं को अतिरिक्त आवंटन देकर अधिकृत किया गया है. प्राप्त शिकायतों में उल्लेख था कि किसानों से अधिक मूल्य लेकर खाद दी जा रही है, किंतु तहसीलदार द्वारा मौके पर की गई जांच में ऐसी कोई स्थिति नहीं पाई गई. तहसीलदार सरई की त्वरित कार्यवाही से किसानों में संतोष का माहौल है.

175 में से सिर्फ पचास बच्चों का बना खाना

रामपुर स्कूल में मिड-डे मील का काला सच, थालियां धोने को मजबूर छात्र

गुना, 19 अगस्त. सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को बेहतर पोषण देने के उद्देश्य से लागू की गई मध्याह्न भोजन योजना का हाल रामपुर के एकीकृत विद्यालय में खस्ताहाल है.

योजना का जिम्मा मां शारदा स्व-सहायता समूह को सौंपा गया है, लेकिन संचालक की मनमानी के चलते बच्चे न केवल अधपेट खाना खाने को मजबूर हैं, बल्कि उन्हें थालियां धोने तक की नौबत आ रही है. मंगलवार को नवभारत टीम जब बमोरी ब्लॉक के रामपुर स्थित विद्यालय पहुंची तो स्थिति बेहद चिंताजनक नजर आई. प्राचार्य ने मौजूद छात्रों की संख्या 175 बताई, जबकि हकीकत यह थी कि रसोई में केवल 50 बच्चों के लिए ही भोजन बनाया गया था. जब इस बारे में रसोइयों से पूछा गया तो उनका कहना था कि उन्हें उतनी ही सामग्री उपलब्ध कराई जाती है, जितनी एमडीएम संचालक और प्राचार्य की ओर से दी जाती है.

इस मामले में मैं कल बीआरसी को भेजकर जांच करूंगा. मौके पर खामी या कमी पाए जाने पर उचित कार्रवाई की जाएगी.

राजेश गोयल, जिला शिक्षा अधिकारी

मध्यान भोजन की व्यवस्था गांव के मां शारदा समूह पर हे अनियमितताओं की जानकारी पूर्व में संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों को दे गई है बच्चों की थाली धुलना समूह की जिम्मेवारी है पर वह ऐसा नहीं करते.

> **तीन बच्चों के बीच एक थाली**
>
> विद्यालय परिसर में बालिका छात्रावास की बच्चियां भी इसी समूह द्वारा परोसे गए भोजन पर निर्भर हैं. यहां स्थिति और भी खराब नजर आई. बच्चियों ने बताया कि स्कूल में पर्याप्त थालियां उपलब्ध नहीं हैं. कई बार तीन बच्चों को एक ही थाली में मिलकर खाना पड़ता है. खाने के बाद वही थालियां बच्चों से ही धुलवाई जाती हैं. इस पूरे मामले ने विद्यालय प्रशासन की लापरवाही को उजागर किया है.

भोपाल की ट्राइडेंट मल्टी वेंचर्स फर्म के पार्टनर व अन्य को राहत

जबलपुर, 19 अगस्त. मप्र हाईकोर्ट के जस्टिस विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने भोपाल की ट्राइडेंट मल्टी वेंचर्स व फर्म के पार्टनर राजेश शर्मा सहित अन्य के विरुद्ध ईओडब्ल्यू (आर्थिक अपराध शाखा) द्वारा दर्ज एफआईआर निरस्त कर दी है.

एकलपीठ ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायदृष्टांतों का हवाला देते हुए कहा है कि एफआईआर निजी सिविल विवाद में परोक्ष रूप से फायदा उठाने के मकसद से दायर की गई. इसलिये न्याय की विफलता रोकने व न्यायिक प्रक्रिया की पवित्रता बनाए रखने के लिए एफआईआर निरस्त करने का विशेषाधिकार उपयोग करना उचित है. एकलपीठ ने कहा कि यह कृत्य न्यायिक प्रक्रिया के दुरूपयोग के समान है. दरअसल भोपाल की फर्म ट्राइडेंट वेंचर्स फर्म के पार्टनर राजेश शर्मा व राजेश तिवारी, दीपक तुलसानी की ओर से यह मामला दायर किया गया था. जिसमें ईओडब्ल्यू द्वारा नौ जून 2025 को धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं व आईटी एक्ट की धाराओं के तहत दर्ज की गई एफआईआर को चुनौती दी गई थी. सुनवाई के दौरान ईओडब्ल्यू की ओर से कहा गया कि भोपाल के रातीबड़ निवासी किसान चिंता सिंह मारण की ग्राम महुआखेड़ा में 12.46 एकड़ कृषि भूमि है. यह जमीन हाईकोर्ट के आदेश से नामांतरण के बाद उनके नाम दर्ज हुई थी.

उत्सव ▶ सामाजिक प्रशिक्षण वर्ग में 300 गांवों के 650 से अधिक युवक-युवतियों ने भाग लिया

गांव-गांव में गणेशोत्सव से जागेगी सामाजिक चेतना

झाबुआ, 19 अगस्त. शिवगंगा झाबुआ द्वारा थांदला में आयोजित सामाजिक उत्सव प्रशिक्षण वर्ग में 300 गांवों के 650 से अधिक युवक-युवतियों ने भाग लिया.

प्रतिभागियों ने अपने गांवों में होने वाले दस दिवसीय गणेश उत्सव के आयोजन को लेकर योजना बनाई एवं विभिन्न गतिविधियों जैसे तीरंदाज़ी, रस्साखींच, कबड्डी, मटकी-फोड़, बांसुरी वादन, झांकी बनाना, समुद्र मंथन, भगीरथ, कथा, सामूहिक आरती इत्यादि का प्रशिक्षण लिया. प्रशिक्षण में गांव के लोगों ने प्रदर्शनी के माध्यम से गणेशोत्सव में होने वाली गतिविधियों को समझा. गांव के सभी प्रतिभागी अपने-अपने गांव से तीर और बांसुरी लेकर इस प्रशिक्षण में शामिल हुए. इस वर्ष शिवगंगा की योजना से 750 से अधिक स्थलों पर गणेश स्थापना होगी और गांव की युवा टोली द्वारा उत्सवों का आयोजन होगा. शिवगंगा 20 वर्षों से गणेशोत्सव की गतिविधियां गांव में सामाजिक नेतृत्व के विकास के उद्देश्य से कर रही है.

> इन आयोजनों के माध्यम से गांव के युवाओं में अपने गांव के प्रति भक्ति जगती है. यही युवा टोली अपने गांव का सामाजिक नेतृत्व देकर अपने गांव की विभिन्न समस्याओं पर पूरे गांव की सहभागिता से मिलकर काम करती है. शिवगंगा के इसी सामाजिक नेतृत्व के परिणामस्वरूप गांव की इन ग्राम-समृद्धि टोलियों ने 130 गांवों में हलमा कर तालाब निर्माण किया और 190 गांवों के पारंपरिक माता-वनों को जीवित कर लाखों वृक्ष लगाए. सैकड़ों किसान जैविक खेती करने लगे हैं. कुपोषण से लड़ने सैकड़ों महिलाओं ने 20 हजार से अधिक परिवारों में फलदार वृक्ष लगाए. पद्मश्री महेश शर्मा ने कहा कि गणेशोत्सव केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि समाज को जोड़ने और संगठित करने का एक सशक्त माध्यम है. लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने गणेशोत्सव को आज़ादी की लड़ाई में जनदृजन को एकजुट करने का साधन बनाया था. उसी भावना से झाबुआ में यह पर्व गांवों को जोड़कर समृद्ध झाबुआ के मिशन को गति देगा और सामूहिक चेतना की नई धारा प्रवाहित करेगा. राजाराम कटारा ने कहा कि यह तीन दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग झाबुआ-अलीराजपुर के गांवों में सामूहिकता और सामाजिक नेतृत्व को नई दिशा देने वाला एक महत्वपूर्ण प्रयास सिद्ध होगा.

दुकानों में स्टॉक घटाकर करोड़ों का भ्रष्टाचार

जबलपुर में राशन विक्रेता संघ ने खोला मोर्चा

जबलपुर, 19 अगस्त. कलेक्टर कार्यालय जबलपुर में पदस्थ खाद्य विभाग अधिकारियों द्वारा कोरोना काल में पी.डी.एस. शास. उचित मूल्य राशन की 60 से 70 दुकान में खाद्य विभाग अधिकारियों ने पर्सनल आई.डी. लॉगिन से गेहूं, चांवल, केरोसीन, चनादाल, मूंगदाल हजारों क्विटलों का स्टॉक आवंटन घटाकर करोड़ों रूपयों का भ्रष्टाचार, हेर-फेर, गबन एवं अनियमिततायें की है, जिसकी जांच को लेकर कलेक्टर दीपक सक्सेना से जबलपुर राशन विक्रेता संघ ने शिकायत की है.

उन्होंने शिकायत में बताया कि सन् 2022 जुलाई, अगस्त, सितम्बर, अक्टूबर माह में कलेक्टर कार्यालय में पदस्थ खाद्य विभाग अधिकारी ने अगस्त, सितंबर, अक्टूबर माह में 1000 हजार रूपये प्रति क्विंटल लेकर सरकारी पोर्टल से छेड़-छाड़कर पर्सनल आई.डी. लॉगिन से गेहूं, चावल, केरोसीन व अन्य खाद्य सामग्री हजारों क्विटलों की मात्रा में स्टॉक आवंटन घटाकर करोड़ों रुपयों का भ्रष्टाचार किया.

रातों रात चढ़ाया स्टॉक

राशन विक्रेता संघ ने बताया कि तत्कालीन कमिश्नर अभय वर्मा, कलेक्टर दीपक सक्सेना, लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह, आर्थिक अपराध शाखा ईओडब्ल्यू इकाई प्रकोष्ठ जबलपुर लोकायुक्त विभाग को भी शिकायत दी जा चुकी है. खाद्य विभाग अधिकारियों द्वारा करोड़ों रूपयों का भ्रष्टाचार कर गले की फांस की हड्डी बन गयी तो घटाये गये गेहूं, चावल, केरोसीन, चनादाल, मूंगदाल व अन्य खाद्य सामग्री का स्टॉक आवंटन 3 वर्ष बाद सन् 2024 माह दिसम्बर खाद्य विभाग अधिकारियों द्वारा पुनः दुबारा हजारों क्विंटलों की मात्रा को गुप्त तरीके से शास. उचित मूल्य की दुकानों में वापस चढ़ा दिया गया है.